संख्या-479/2020/710/22-2-2020-17(1141)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 29 अक्टूबर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री उजागर, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोवेशन-3/(एम-05.06.2020) दिनांक-03.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री उजागर, ग्राम-केशरी, थाना-नसीरपुर, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 25.08.2001 को बंदी द्वारा 01 सह अभियुक्त के साथ मिलकर बल्लम से कालीचरन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी सं0-02, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 21.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.05.2020 तक 17 वर्ष 00 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 02.02.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के साक्षात्कार, कारित अपराध की प्रकृति, भविष्य में अपराध कारित किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी दिनांक 25.08.2001 को बजे अपने बच्चे को शोरगुल करने के कारण मारपीट रहा था। भतीजी के बुलाने पर कालीचरन बचाने गया तो अभियुक्त से झगड़ा हो गया। कालीचरन के खेत में चले जाने पर बंदी ने 01 सह अभियुक्त के साथ मिलकर बल्लम से कालीचरन की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री उजागर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवचरन (बन्दी संख्या-9262) पुत्र श्री उजागर, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-**479**/2020/710(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-479/2020/710/22-2-2020-17(1141)/2019

दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री उजागर, ग्राम-केशरी, थाना-नसीरपुर, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। दिनांक 25.08.2001 को बंदी द्वारा 01 सह अभियुक्त के साथ मिलकर बल्लम से कालीचरन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-135/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी सं0-02, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 21.01.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.05.2020 तक 17 वर्ष 00 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 03 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 02.02.2018 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के साक्षात्कार, कारित अपराध की प्रकृति, भविष्य में अपराध कारित किये जाने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी के द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी दिनांक 25.08.2001 को बजे अपने बच्चे को शोरगुल करने के कारण मारपीट रहा था। भतीजी के बुलाने पर कालीचरन बचाने गया तो अभियुक्त से झगड़ा हो गया। कालीचरन के खेत में चले जाने पर बंदी ने 01 सह अभियुक्त के साथ मिलकर बल्लम से कालीचरन की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवचरन पुत्र श्री उजागर को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।